तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/12313/2004/कोटा मदनसिंह बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के. पन्त, अधिवक्ता, प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 19.12.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश, कोटा पारित निर्णय दिनांक 24-03-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अतिरिक्त जिलाधीश ने प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया था कि इन्हीं पक्षकारों ने इससे पूर्व इसी विवादित आराजी के सम्बन्ध में इसी धारा में तहसीलदार सांगोद के न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 183बी पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से मौका कब्जा रिपोर्ट मंगवायी थी। इसका ज्ञान प्रार्थी को होने पर तहसील में उक्त वाद की अथवा किसी भी प्रार्थनापत्र पर दर्ज प्रकरण की जानकारी लेना चाही, जो उसे नहींदी गयी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/12313/2004/कोटा मदनसिंह बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

काफी कोशिश के बाद मात्र उक्त रिपोर्ट की फोटो प्रति ही प्राप्त हो सकी। तत्श्चात् प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उक्त पत्रावली तलब कराये जाने की प्रार्थना की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि प्रार्थी को पूर्व में निर्णीत प्रकरण की संख्या एवं आदेश दिनांक की जानकारी काफी प्रयास के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकी, ऐसी स्थिति में वाद के नम्बर व निर्णय दिनांक प्रार्थनापत्र में अंकित करना सम्भव नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिर्पोट की प्रति के आधार पर कम से कम पूर्व निर्णीत प्रकरण बाबत् एक बार जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र को सरसरी तौर पर खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 11 नियम 12 व 14 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जावे।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने विचारण न्यायालय तहसीलदार, सांगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8-8-2003 के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/12313/2004/कोटा मदनसिंह बनाम गंगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत की। उक्त अपील के लम्बित रहने के दौरान प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 16–10–2003 को प्रस्तुत कर विवादित आराजी बाबत् तहसीलदार, सांगोद द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी में निर्णीत पत्रावली को तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसके साथ हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र में न तो पूर्व निर्णीत प्रकरण के नम्बर अंकित किये गये, ना ही उनवान शीर्षक अंकित किये गये, ना ही निर्णय की दिनांक अंकित की गयी। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर कौनसी व कब निर्णीत पत्रावली तलब की जानी है, स्पष्ट नहीं होता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय से प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी में माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य